(84)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/10 पार्ट-I   जयपुर, दिनांक 3 OCT 2011

आदेश

एफ.आई.सी.सी.आई. के राजस्थान स्टेट कॉन्सिल द्वारा इण्ड्रस्टीयल टाउनशिप के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलसी, 2010 के प्रावधानों में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का परीक्षण कर टाउनशिप पॉलसी 2010 के प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित कर आदेश प्रसारित किये जाते है :-

आईटम	संशोधित प्रावधान
अधिकतम विक्रय योग्य क्षेत्र	70 प्रतिशत (मुख्य उपयोग के लिए 40 से 65 प्रतिशत आवासीय 5 से 15 प्रतिशत व्यावसायिक 3 प्रतिशत)
सुविधाऐं/खुला क्षेत्र/सड़कें	कुल 30 प्रतिशत (खुला क्षेत्र 5 प्रतिशत) एवं स[illegible]त्र 10 प्रतिशत अनिवार्य रूप से बाकी क्षेत्र विकासकर्ता की योजना अनुसार
सडकों की चौडाई	500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिए 12 मीटर, 500 वर्गमीटर से अधिक 1500 वर्गमीटर तक 18 मीटर तथा 1500 वर्गमीटर से अधिक के लिए 24 मीटर

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से
30/9/2011
(एन.एल.मीना)
उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग।
6. निजी सचिव, सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
7. आयुक्त जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त)।
10. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय नविवि
11. उप विधि परामर्शी, नविवि।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास (समस्त)
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

उप नगर नियोजक